कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/खनिज/331–254/478 रायपुर, दिनांक 19/02/2025

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषयः– **Diversion of 2.58 ha (For approach road area 0.95 Ha and power line area 1.62 Ha) Forest land for non-forest purpose under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 proposed for approach road from mines to Public Road and laying the power line in favour of M/s Shri. Bajrang Power & Ispat Ltd. Village Borjhara, Guma Road, Urla Industrial Area, Raipur in East-Bhanupratappur Forest Division, Kanker District in the State of Chhattisgarh-reg.**

संदर्भः–
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/FC-8/15/ 2024-IRO-Raipur/ 188 दिनांक 15.01.2025
2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर का पत्र क्रमांक/ त.अ./ न. क्र. 78/ 2025 / 418 दिनांक 30.01.2025

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भ पत्र–1 के माध्यम से आवेदनकर्ता श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड रायपुर द्वारा जिला उत्तर बस्तर कांकेर जिले के पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल अंतर्गत आरक्षित/संरक्षित वन भूमि में रकबा 2.58 हे. में पहुँच मार्ग एवं विद्युत लाईन विस्तार के लिए व्यपवर्तन हेतु प्रेषित प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, नवा रायपुर के पत्र दिनांक 15.1.2025 द्वारा "A details report along with the conditions-wise compliance report for the approval granted for Mining Project in the past and also submit a detailed report on violation of the Adhiniyam, if any" के अनुपालन में खनन प्रकरण रकबा 76.50 हे. का पालन प्रतिवेदन चाहा गया है।

उक्त के अनुक्रम में संदर्भ पत्र–2 के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर द्वारा रकबा 76.50 हे. प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 04.08.2014 द्वारा प्राप्त खनिज लौह अयस्क के खनिपट्टा हेतु अधिरोपित शर्तो का पालन प्रतिवेदन अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः संदर्भ पत्र–1 के अनुक्रम में मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर द्वारा प्राप्त पालन प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुशंसा सहित संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार मय संलग्नक

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू – प्रबंध/वन (सं एवं सं) अ.)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–254/ 479

रायपुर, दिनांक 19/02/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. **मुख्य वन संरक्षक,** कांकेर, वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़ ।
2. **वन मंडलाधिकारी,** पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल, भानुप्रतापपुर, छत्तीसगढ़ ।
3. **मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड,** ग्राम बोरझारा, उरला गुमा रोड रायपुर, छ.ग. ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू – प्रबंध/वन (सं एवं सं) अ.)
छत्तीसगढ़

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर (छत्तीसगढ़)

ccfkanker3@gmail.com (07868) 222014 (07868) 222472

क्रमांक/त.अ./न.क्र.78/2025/418 कांकेर, दिनांक/30/01/2025

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर।

विषयः– **Diversion of 2.58 ha. (For approach Road area 0.95 ha. and the Power lines Covers an area of 1.62 ha.) Forest land for non-forest Purpose under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 Proposed for the Approach Road from Mines to Pubilc Road and laying Power line in favour of M/s Shri. Bajrang Power & Ispat Ltd. village Borjhara, Guma Road, Urla Industrial Area, Raipur in East Bhanupratappur Forest Division, Kanker District in the State of Chhattisgarh-reg. Online Registration No. FP/CG/Approach/32947/2018**

संदर्भः– 1. आपका पत्र क्रमांक/ भू–प्रबंध/खनिज/331–254/245 दिनांक 24.1.2025
2. वन मण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर के पत्र क्र./मा.चि./2025/767 दिनांक 11.9.2024

विषयांतर्गत निवेदन है कि आवेदनकर्ता श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड रायपुर द्वारा जिला उत्तर बस्तर कांकेर जिले के पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल अंतर्गत आरक्षित/संरक्षित वन भूमि में रकबा 2.58 हे. में पहुँच मार्ग एवं विद्युत लाईन विस्तार के लिए व्यपवर्तन हेतु प्रेषित प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक File No.FC-8/15/2024-IRO-RAIPUR/188 दिनांक 15.1.2025 द्वारा "A details report along with the conditions-wise compliance report for the approval granted for Mining Project in the past and also submit a detailed report on violation of the Adhiniyam, if any" की चाही गई जानकारी वन मण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल ने अपने संदर्भित पत्र (अ.क्र.2) के माध्यम से पालन प्रतिवेदन अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

अ. क्र.	भारत सरकार/क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अधिरोपित शर्तो का विवरण	अधिरोपित शर्तो के पालन प्रतिवेदन की स्थिति
1	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.	आवेदक संस्थान को मान्य है। वनभूमि के वैधानिक स्थिति में परिवर्तन नहीं किया गया है।
2	Compensatory afforestation over the chhote bade Jhad Ka Jungle (revenue Forest Land), twice in extent to the forest land being diverted as proposed by the State Government shall be raised and maintained by the State Forest Department from the funds already provided by the User Agency.	आवेदक संस्थान द्वारा अरिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदित क्षेत्र 76.50 हे. के बदले दुगूने क्षेत्र 153.00 हे. क्षेत्र पर वृक्षारोपण हेतु वर्ष 2013–14 में प्रस्तावित दर 116615/– की दर से 17842095/– (एक करोड़ अठहत्तर लाख ब्यालिस हजार पंच्यानबे रूपये) एवं वर्ष 2014–15 में प्रचलित दर 128277/– की मान से अंतर की राशि 17,84,286/– कुल राशि 1,96,26,381/– (एक करोड़ छयान्बे लाख छब्बीस हजार तीन सौ इक्यासी) रूपये कार्पोरेशन बैंक नई दिल्ली के कैम्पा खाता क्रमांक 344901010070128 में जमा कर दिया गया है। वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
छत्तीसगढ़ रायपुर

<table>
<tr><th>अ. क्रं.</th><th>भारत सरकार/क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अधिरोपित शर्तो का विवरण</th><th>अधिरोपित शर्तो के पालन प्रतिवेदन की स्थिति</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>अ.क्रं.</th><th>रोपण वर्ष</th><th>स्थल का नाम</th><th>रोपित रकबा</th><th>रोपित पौधो की संख्या</th><th>जीवित पौधो की संख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2016</td><td>ओ.ए. बोगर</td><td>30.000</td><td>33000</td><td>5775</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2016</td><td>ओ.ए. कुल्हाड़कट्टा</td><td>20.000</td><td>22000</td><td>17160</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2017</td><td>राजस्व वनभूमि कोड़ेकुर्से</td><td>20.000</td><td>38500</td><td>27200</td></tr>
<tr><td>4</td><td>2016</td><td>राजस्व वनभूमि कोड़ेकुर्से</td><td>35.000</td><td>20000</td><td>14200</td></tr>
<tr><td>5</td><td>2016</td><td>ओ.ए. बेल्दो सी</td><td>18.000</td><td>19800</td><td>14850</td></tr>
<tr><td>6</td><td>2016</td><td>ओ.ए. पालवी बी.</td><td>17.000</td><td>18700</td><td>13400</td></tr>
<tr><td>7</td><td>2017</td><td>ओ.ए. चिहरो बी</td><td>13.000</td><td>14300</td><td>12298</td></tr>
<tr><td colspan="3">योग :–</td><td>153.000</td><td></td><td></td></tr>
</table>
उपरोक्त क्षेत्र में विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्य किया गया है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>The chhote bade Jhad Ka Jungle transferred and mutated in favour of the State Forest Department shall be notified by the State Government as RF under Sewction-4 of PF under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the local Forest Act, 1927 latest within a period of six months from the date of issue of Stage-II approval. The Nodal Officer shall report compliance in this regard along with a copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, as the case may be, within the stipulated period to the Central Government for information and record.</td><td>शासन द्वारा अधिसूचित किया गया है। अधिसूचना क्रमांक/एफ 7–10/2013/10–2 दिनांक 10 जून 2016.।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake by involving local community, the afforestation measures in the blanks within the lease area, as well as along the roads outside the lease area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost.</td><td>संस्थान द्वारा माईनिंग लीज क्षेत्र के अंतर्गत रिक्त स्थानों एवं सड़क किनारे दोनो ओर वृक्षारोपण कार्य किया गया है एवं स्थानीय कामगारों की उपस्थिति में उचित देखभाल एवं रख–रखाव किया जा रहा है। वर्तमान में अब तक 2850 पौधे लगाये जा चुके है।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>The User Agency shall pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India.</td><td>आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।</td></tr>
<tr><td>6</td><td>The period of diversion of the said forest land under this approval shall be for a period co-terminus with the period the mining lease</td><td>इस अनुमोदन के अंतर्गत उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन की अवधि खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1927 अथवा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत रहेगी, जो की संस्थान को मान्य है।</td></tr>
</table>

अ. क्रं.	भारत सरकार/क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अधिरोपित शर्तों का विवरण	अधिरोपित शर्तों के पालन प्रतिवेदन की स्थिति
	proposed to be granted under the Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, 1927, or Rules framed there under, subject to a maximum period of 30 years.	
7	User agency either himself or through the State Forest Department shall undertake gap planting and soil & moisture conservation activities to restock and rejuvenate the degraded open forests (having crown density less than 0.4), if any, located in the area within 100 m. from outer perimeter of the mining lease.	परिक्षेत्र अधिकारी दुर्गूकोन्दल के पत्र क्रं./डी.के.एफ./2021/830 दिनांक 05/07/2022 द्वारा उक्त बिन्दु के पालन में 100 मीटर के दायरे में 0.4 से कम घनत्व के क्षेत्र का चिन्हांकन कर अवगत कराया गया है। आवेदक संस्थान श्री बजरंग पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड रायपुर को वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने लेख किया गया है।
8	The user agency shall undertake mining in a phased manner after taking due care for reclamation of the mined over area. The concurrent reclamation plan as per the approved mining plan shall be executed by the User Agency from the very first year, and an annual report on implementation thereof shall be submitted to the Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980, in the concerned State Government and the concerned Regional Officer of the Ministry. If it is found from the annual report that the activities indicated in the concurrent reclamation plan are not being executed by the User Agency, the Nodal Officer or the Chief Conservator of Forests (Central) may direct that the mining activities shall remain suspended till such time, such reclamation activities are satisfactorily executed.	आवेदक संस्थान द्वारा भारतीय खान ब्यूरो, द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान, मॉडिफाइड माईनिंग प्लान एवं रिव्यू ऑफ माईनिंग प्लान में निर्देशित शर्तो के नियमानुसार कार्य किया जा रहा है। जिसका समय – समय पर भौतिक सत्यापन भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा निरीक्षण कर किया जाता है।
9	Following activities shall be undertaken by the user agency for the management of safety zone:	संस्थान द्वारा माईनिंग लीज एरिया के चारो ओर 7.50 मीटर का सेफ्टीजोन का निर्माण वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा चिन्हांकित किये जाने के उपरांत संस्थान द्वारा बारबेड फेंसिंग किया गया है एवं प्रत्येक 50 मीटर के अंतराल पर इंटरमिडियट पिल्लर्स बनाया गया है। जिस पर पिल्लर्स नम्बर एवं अक्षांश–देशांश अंकित है। यद्यपि शर्त क्रमांक 9 के पालन में 13,75,000/– (तेरह लाख पचहत्तर हजार रूपये) की रिन्यूवल बैंक गारंटी प्रस्तुत किया गया है जिसकी अवधि 27/03/2023 से 27/03/2025 तक वैद्य है। सेफ्टीजोन 7.50 मीटर की चौड़ाई में कुल 1220 नग पौधे जीवित है।
i	User agency shall ensure demarcation of boundary of safety zone (7.5 meter strip all along the outer boundary of the mining lease area), and its protection by erecting adequate number of 4 feet high RCC boundary pillars inscribed with DGPS coordinates and deploying adequate number of watchers under the supervision of the State Forest Department.	

<table>
<tr><th>अ. क्रं.</th><th>भारत सरकार/क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अधिरोपित शर्तों का विवरण</th><th>अधिरोपित शर्तों के पालन प्रतिवेदन की स्थिति</th></tr>
<tr><td>ii</td><td>In case of the mining lease adjoining the habitation stretch of the boundary of the safety zone of the lease adjacent to the habitation/ roads should be properly fenced by the user agency at the project cost to protect the vegetation / regeneration activities in the safety zone.</td><td rowspan="2">माईंस के चारो ओर 2.89 हे. के सेफ्टीजोन में वन विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है। उक्त क्षेत्र में मुख्यतः जामुन, अमरूद, काजू, सीताफल, कटकल, गुलमोहर, करंज, सिंदूर एवं नीबू के पौधे लगाये गये है। जिनका उचित रख रखाव माईंस में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है।</td></tr>
<tr><td>iii</td><td>Safety zone shall be maintained as green belt around the mining lease and to ensure dense canopy cover in the area, regeneration shall be taken in this area by the user agency at the project cost under the supervision of the State Forest Department.</td></tr>
<tr><td>iv</td><td>Afforestation on degraded forest land, to be selected elsewhere, measuring one and a half times the area under safety zone shall also be done by the user agency at the project cost under the supervision of the State Forrest Department.</td><td>संस्थान द्वारा शर्त क्र 4 के पालन में राशि 20,49,800/— (बीस लाख उनचास हजार आठ सौ रूपये) कैम्पा खाते में जमा किया गया है। वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :—
<table>
<tr><th>अ. क्रं.</th><th>रोपण वर्ष</th><th>स्थल का नाम</th><th>रोपित रकबा</th><th>रोपित पौधो की संख्या</th><th>जीवित पौधो की संख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2018—19</td><td>ओ.ए. लोहत्तर</td><td>5.000</td><td>12500</td><td>12500</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>10</td><td>The User Agency shall undertake de-silting of the village tanks and other water bodies located within five km from the mine lease boundary so as to mitigate the impact of siltation of such tanks/water bodies, whenever required.</td><td>आवेदक संस्थान द्वारा 05 कि.मी. की परिधि के अंतर्गत ग्राम हाहालद्दी, चाहचड़ एवं मेड़ो में तालाब से गाद निकासी एवं गहरीकरण का कार्य किया गया है एव आगे भी ग्राम सभा से इस बाबत् प्रस्ताव प्राप्त होने पर उक्त कार्य किया जावेगा। इस बाबत् आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
05 कि.मी. के परिधि अंतर्गत तालाब से गाद एवं गहरीकरण कार्य किया गया है, जो निम्नानुसार है :—
1. ग्राम मेड़ो से हल्बापारा छापर तालाब।
2. ग्राम — चाहचाड़ तेंदूबधिया तालाब।
3. ग्राम — हाहालद्दी डंकारपार तालाब।</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Following activities shall be undertaken by the User Agency at the project cost:</td><td>शर्त क्रमांक 11 के अनुपालन में आवेदक संस्थान द्वारा राशि 4,08,893/— (चार लाख आठ हजार आठ सौ तिरानबे रूपये) की रिन्यूवल बैंक गारंटी प्रस्तुत किया गया है जिसकी अवधि 01/04/2023 से 01/04/2025 तक वैद्य है।</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Implementation of a plan containing appropriate mitigative measures to minimize soil erosion and choking of streams</td><td>सॉइल इरोजन रोकने के लिए संस्थान द्वारा माईस रोड़ साईड में बंड एवं गारलेंड ड्रेन का निर्माण किया गया है। जिससे बारिश का पानी गारलैंड से सीधे सम्प में जाता है। इरोजन रोकने हेतु प्लांटेशन कार्य किया जा रहा है।
साईल इरोजन रोकने के लिए संस्थान द्वारा माईस रोड़ साईड में बंड एवं गारलेंड ड्रेन 0.5 मीटर गहराई × 1 मीटर चौड़ाई में कुल 2070 मीटर लम्बाई में कार्य किया गया है। वर्ष 2020 में साईल इरोजन रोकथाम हेतु OB डम्प एवं माईस के रिक्त क्षेत्रों में 1000 नग बांस पौधो का रोपण किया गया है।</td></tr>
</table>

अ. क्रं.	भारत सरकार/क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अधिरोपित शर्तो का विवरण	अधिरोपित शर्तो के पालन प्रतिवेदन की स्थिति
2	Planting of adequate drought hardy plant species and sowing of seeds in the appropriate area within the mining lease to arrest soil erosion	संस्थान द्वारा उचित प्रबंध किया जा रहा है।
3	Construction of check dams, retention/toe walls along the contour to arrest sliding down of the excavated material	संस्थान द्वारा माईनिंग ली क्षेत्र में चेक डेम, सम्प, रिटेनिंग वाल एवं गारलैंड ड्रैन बनाये गये है।
4	Stabilize the overburden dumps by appropriate grading/benching so as to ensure that angles of repose at any given place is less than 28° and Strict adherence to the prescribed top soil management.	संस्थान द्वारा भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ओव्हर बर्डन डम्प हेतु टेरेसिंग एवं ग्रेडियेंट नियमानुसार समायोजित किया जा रहा है। स्थिरता के लिए क्वायर मेट लगाकर पौधारोपण किया जा रहा है।
12	No labour camp shall be established on the forest land.	किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प वन क्षेत्र के अंतर्गत नही बनाया गया है।
13	The User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the laborers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas	संस्थान द्वारा कर्मचारियों हेतु मेस चलाया जा रहा है, जिसमें गैस सिलेण्डर का उपयोग किया जाता है एवं वन क्षेत्र को नुकसान ना हो इसके लिए संस्थान द्वारा वन विभाग के डिपो से लकड़ी खरीदकर आश्रित ग्राम के लोगो को वितरीत किया जाता है।
14	The boundary of the diverted forest land, mining lease shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar,	माईनिंग लीज के चारों ओर 04 फीट कांक्रीट पिल्हर एवं संसेटिना एवं बारबेड वायर से फेंसिंग कर सेफ्टीजोन बनाया गया है। जिस पर अंक्षाश – देशांश के साथ बेक बियरिंग एवं फारवर्ड बियरिंग अंकित किया गया है।
15	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.	आवेदक संस्थान द्वारा पालन किया जा रहा है।
16	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal	आवेदक संस्थान द्वारा व्यपवर्तित वनक्षेत्र का उपयोग केवल लौह अयस्क खनन हेतु किया जा रहा है।
17	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government	राज्य शासन के अंतर्गत आता है।
18	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused,	माईनिंग लीज क्षेत्र को चारो ओर बारबेड वायर एवं कंसटिना वायर से फेंसिंग किया गया है। जिससे लीज क्षेत्र के बाहर वनक्षेत्र को कोई नुकसान नही होता।
19	Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department.	संस्थान द्वारा आवश्यकतानुसार खनन क्षेत्र चयन कर वन विभाग को अवगत कराया जाता है जिससे उपरांत वन विभाग के अधिकारियों की देख रेख में वृक्ष विदोहन का कार्य किया जा रहा है।

अ. क्रं.	भारत सरकार/क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अधिरोपित शर्तो का विवरण	अधिरोपित शर्तो के पालन प्रतिवेदन की स्थिति
20	Cost of benefits such as grazing, collection of tendu leave and other NTFP etc. presently accrued from the forest land proposed for diversion to the tribal and other residents of the adjoining habitations, as assessed by the State Government will be distributed among the project affected families.	शर्त क्रमांक 20 के अनुपालन में आवेदक संस्थान द्वारा राशि 13,37,580/- (तेरह लाख सैंतिस हजार पांच सौ अस्सी रूपये) का वितरण वन विभाग द्वारा किया जा चुका है।
21	Realistic baseline data prepared by the user agency shall be utilized for periodic monitoring and change depiction of the ecological aspects including flora and fauna in and around the lease area.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत बेस लाईन डाटा पूर्व में प्रेषित किया गया है।
22	Recommendations of the specific study to be conducted by a group of experts / reputed organization constituted by the State Government of Chhattisgarh, vide letter No. Bhu. Prabandh/ Khanj/331-13/589 dt. 17.07.2014 and approved by the Ministry of Environment, Forest & Climate Change vide No.8-34/2009-FC dt. 01.08.2014 to assess cumulative impact of the mining in the landscape will be binding on the user agency.	उक्त माईंस दिनांक 09/02/2015 को प्रारंभ हुआ है। उचित समय पर संस्थान द्वारा उक्त कार्य कराया जायेगा।
23	The State Government shall ensure that the mining shall be done progressively and area shall be reclaimed successively as specified in the environmental clearance. Carefully selected endemic and pioneer species only shall be used for reclamation.	अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार कार्य किया जा रहा है।
24	Only primary crushing should be allowed at mine site to facilitate ore transportation. No other ore processing unit or beneficiation activity should be allowed in and around the mining site.	आवेदक संस्थान द्वारा पालन किया जा रहा है।
25	Transportation of ore to be done in covered vehicles specially designed/ modified.	आवेदक संस्थान द्वारा पालन किया जा रहा है।
26	Proper run-off control structure to be erected to prevent damage to neighboring agriculture field and drainage leading to rivers flowing on northern and southern portion of proposed lease. Rain water harvesting to be done.	संस्थान द्वारा मलबा इत्यादि माईनिंग क्षेत्र से बाहर ना जाये जिसके लिए गार्डवाल, चेक डेम एवं सम्प का निर्माण किया गया है। जिससे खदान से निकलने वाला पानी सम्प में एकत्रित होता है। जिससे आस पास के जमीन को कोई नुकसान नही होता है।

अ. क्रं.	भारत सरकार/क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अधिरोपित शर्तो का विवरण	अधिरोपित शर्तो के पालन प्रतिवेदन की स्थिति
27	No mining or ancillary activities should be allowed between sun set and sun rise.	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्राप्त पर्यावरण स्वीकृति Forest Clearance एवं भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लॉन के नियमानुसार कार्य किया जा रहा है।
28	No housing facility to be created within lease area.	किसी भी प्रकार की हाऊसिंग फेसिलिटी खनन क्षेत्र के अंतर्गत नही है।
29	The corridor (Indravati-Sitanandi) falling under the jurisdiction of the East Bhanupratappur Forest Division should be restored / rejuvenated in the area as per the Plan prepared by the Forest Department in consultation with the WII, as per the NTCA Guidelines.	आवेदक संस्थान द्वारा वन्य प्राणी योजना की राशि 3,50,00,000/—(तीन करोड़ पचास लाख रूपये) कार्पोरेशन बैंक नई दिल्ली के कैम्पा मद के खाता क्रमांक 344901010070128 में जमा किया गया है। उक्त शर्ते के पालन में वर्ष 2015—16 से निम्नानुसार कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है:—

अ. क्रं.	वर्ष	कार्य का विवरण	कक्ष क्रमांक
1	2015—16	लेटाना उन्मूलन	RF 624 RF 623
2		चारागाह विकास	RF 623 RF 624
3		तालाब निर्माण	RF 624
4		पक्का चेक निर्माण	RF 623 RF 624
5		वाटर होल निर्माण	RF 623 RF 624
1	2016—17/ 2017—18	खरपतवार उन्मूलन	PF 905
2		चारागाह विकास	PF 906
3		वाटर होल निर्माण	PF 896 PF 899
4		पक्का चेक डेम निर्माण	PF 906 PF 896 PF 905 PF 907
5		वाटर होल निर्माण	PF 906
1	2018—19	खरपतवार उन्मूलन	PF 888
2		चारागाह विकास	PF 920
3		वॉटरहोल निर्माण	PF 891
4		सी.सी.चेक डेम निर्माण	PF 890
5		सी.सी.चेक डेम निर्माण	PF 889
6		अग्नि सुरक्षा कार्य	परियोजना क्षेत्र कोण्डे
7		सुरक्षा पेट्रोलिंग	परियोजना क्षेत्र कोण्डे
8		अवैध कटाई पर नियंत्रण	परियोजना क्षेत्र कोण्डे
9		वॉटरहोल निर्माण	PF 888
10		जागरूकता एवं प्रशिक्षण	परियोजना क्षेत्र कोण्डे
11		सी.सी.रोड़ निर्माण	डोरकाएन्हूर
12		अन्य कार्य	परियोजना क्षेत्र कोण्डे

अ. क्रं.	भारत सरकार/क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अधिरोपित शर्तो का विवरण	अधिरोपित शर्तो के पालन प्रतिवेदन की स्थिति
30	Eco-development initiatives (at least 5 village/hamlet clusters) in the notified buffer/ peripheral area of the Indravati Tiger reserve, and peripheral area of the Bhamragarh Wildlife Sanctuary, as a part of a n 'off site offset' measure, shall be undertaken by the project proponent as per the Plan prepared by the Forest Department in consultation with the local people.	आवेदक संस्थान द्वारा इको–डेवलपमेंट की राशि 14,95,000/– (चौदह लाख पन्चानबे हजार रूप्ये) कार्पोरेशन बैंक नई दिल्ली के कैम्पा मद के खाता क्रमांक 344901010070128 में जमा किया गया है। संचालक इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर को ईको डेव्हलपमेंट प्लान अनुसार बफर क्षेत्र के ग्राम गोटियामुड़ा,रालापल्ली,अर्जुनल्ली,चिन्नामाथुर एवं उल्लूर में कार्य कराने हेतु वर्ष 2014–15 के ए.पी.ओ. में मांग पत्र प्रस्तुत करने अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू –प्रबंध) द्वारा लेख किया गया है।
31	The user agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above conditions to the State Government and to the concerned Regional Office of the Ministry regularly.	आवेदक संस्थान द्वारा समय –समय पर वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट राज्य शासन एवं केन्द्र शासन को प्रेषित की जा रही है।
32	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife, and	राज्य सरकार या मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा समय–समय पर वनीकरण एवं वनों के संरक्षण हेतु दिये गये निर्देशों का पालन आवेदक संस्थान द्वारा करते हुए, उत्खनन का कार्य किया जा रहा है।
33	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.	आवेदक संस्थान भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा जारी किये गये समस्त दिशा निर्देशों का पालन करने हेतु वचनबद्व है।

अतः वन मण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से सहमत् होते हुए प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने की अनुशंसा की जाती है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर

पृ.क्रमांक/त.अ./न.क्र.78/2025/ 419 कांकेर, दिनांक/30/01/2025

प्रतिलिपि :–

1. **वन मण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल** को उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
2. **मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम–बोरझारा, उरला–गुमा रोड़, रायपुर छ.ग.** को सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर